समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता में ही समझदारीए दूर रहेगी कई बीमारी

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत हा कमवाड़ा स्ेिथत एम पब्लिक स्कूल में स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम सह स्वास्थ्य परीक्षण श वर का आयोजन

रतलाम 23 फरवरी । हर एक व्यक्ति एक सेहतमंद जिंदगी की तलाश करता है। कोरोना काल में इसकी समझ और बेहतर तरीके से हो गई है। एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी हम में से कोई भी बीमार नहीं पडना चाहता है। कहते हैं क इलाज करवाने से बेहतर है क हम सही एहतियात बरतें ता क बीमारी हमें छू भी न पाए। इसके लए हमें समझदारी के साथ स्वच्छता की और कदम बढ़ाने की जरूरत है।

उक्त वचार नगर निगम के सहायक आयुक्त श्री वकास सोंलकी ने सोमवार को हा कमवाड़ा स्थित एम पब्लिक स्कूल में स्वच्छता जागरुकता सह स्वास्थ्य परीक्षण श वर के अवसर पर व्यक्त कए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के अवसर पर वरिष्ठ पूर्व पार्षद श्री मुन्नालाल शर्माए स्वास्थ्य अ धकारी एपी संहए महिला एवं बाल वकास वभाग शहर परियोजना क्रमांक-1 की पर्यवेक्षक सुश्री उषा लम्बोदिया उपस्थित रहे। अति थयों का स्वागत स्कूल परिवार की नेहा चावरेएशायमा व अनिल पांचाल ने कया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने कहां क एक सेहतमंद जिंदगी और निरोगी काया के लए स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। नगर निगम अपने स्तर से सफाई व्यवस्था में निरन्तर प्रयास कया है और इस प्रयास में सफलता भी निरन्तर मल रही है। इन दिनों को वड-19 के साथ ही अन्य बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। मलेरियाए डेगूए टाईफाईडए बुखार सहित अन्य बीमारियों के रोगी बढने लगे है। इनमें से अनेक रोगों का सीधा संबध साफ सफाई से है। ऐसे में जरुरी है क नागरिक अपने घर की सफाई के साथ ही आसपास की सफाई का भी ध्यान रखे और सर्तक रहे।

वरिष्ठ पूर्व पार्षद श्री मुन्नालाल शर्मा ने कहां क स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत हमे रतलाम शहर को नम्बर-1 बनाने के प्रयास पुरजोर तरीके से करना चाहिए। अगर समय रहते हमने अपने इन प्रयासों को तेज कर दिया तो आने वाले समय में रतलाम का नाम देश में स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 रहेगा।

उन्होने कहां क नगर पा लक निगम का अमला सफाई व्यवस्था को लेकर सजग है वशेषकर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया खुद स्वच्छता के मामले को गंभीरता से ले रहे है। उन्ही के प्रयासों से रतलाम के कई कोनो और हिस्सों में तीस-तीस साल से जमा अस्थायी कचरा स्थलों को साफ करवाया है जहां दोबारा कचरा न डाला जाए इसके लए रांगोली का निर्माण और दीपदान कराया जा रहा है। रांगोली और दीपदान नागरिकों के साथ ही इधर-उधर कचरा फेकने वालों में भी सकारात्मक भाव भर रहे है।

श्री शर्मा ने कहां क स्वच्छता अ भयान महज नगर पा लक निगम का अ भयान न बने बल्कि इसे स्वच्छता आंदोलन माना जाए जिसमें शहरवा सयों के लाखों हाथ आहूति दे।

कार्यक्रम का संचालन पर्यवेक्षक सुश्री उषा लम्बोदिया ने कया और आभार नेहा चावरे ने माना।

हीना ने बिखेरे स्वच्छता के रंग

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के तहत यहां व भन्न प्रतियो गताओं का आयोजन कया गया। मेंहदी प्रतियो गता के दौरान कशोरी बा लकाओं व महिलाओं ने अपने हाथों पर मेंहदी रचा कर स्वच्छता का संदेश दिया। मेंहदी प्रतियो गता में बेहतर प्रदर्शन के लए आलीनाए रेहनुमाएसाराखानरांगोली प्रतियो गता के लए चांदनी बीए रेशमा बीए शगुफ्ता हुसैनए निबंध प्रतियो गता में राहेमीनए अलफेज और सुमाईला को बालपेन और प्रमाणपत्र देकर अति थयों ने सम्मानित कया। इसी तरह भाषण और अन्य स्पर्धाओं के लए अनिता शर्माए स्वालेहा खानए कामना व्यासए नसीम बानोए स वता जोशीएब्रजबालाए प्रेमलता सेनीए सुनिता सोंलकीए स वता राठोरए नसीम बानोए शीला परमारए कायनातए ताहिरा बीए जितेन्द्र कुंवरए संतोष डोईए वमला रायए को कला ससोदिया और नीता परमार को भी अति थयों ने सम्मानित कया।

नगर को पॉलीथीन व डस्पोजल मुक्त करने हेतु बर्तन व झोला बैंक प्रारंभ

रतलाम 23 फरवरी । रतलाम नगर को पॉलीथीन व डस्पोजल से मुक्त करने हेतु नगर निगम द्वारा अहम कदम उठाते हुए बर्तन बैंक व झोला बैंक की स्थापना की जिसका उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया ने फीता काटकर कया।
रतलाम नगर को डस्पोजल से मुक्त करने हेतु मेरी सहेली महिला मंडल के द्वारा स वक सेन्टर के आई ब्लॉक में बर्तन बैंक का संचालन कया जा रहा है। बर्तन बैंक प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है क घरों में होने वाले छोटे-छोटे कार्यक्रमए जन्म दिवस आदि में उपयोग होने वाले डस्पोजल पर रोक लगाना है नागरिक डस्पोजल का उपयोग ना करते हुए बर्तन बैंक से बहुत ही कम दर पर थालीए कटोरी ए चम्मच इत्यादी प्राप्त कर अपने कार्यक्रम पूर्ण कर सकते जिससे रतलाम नगर डस्पोजल मुक्त होकर स्वच्छ व सुन्दर होगा।
इसी तरह रतलाम नगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने हेतु नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित तेजस्वनी कैफे पर झोला बैंक प्रारंभ कया गया है। नागरिक पॉलीथीन का उपयोग ना करते हुए यहां से बहुत ही कम दर पर पुराने कपड़ो से नि र्मत झोले (थैली) प्राप्त कर सकते हैं या अपनी आवश्यकतानुसार बनवा सकते है। झोला बैंक का संचालन राष्ट्रीय शहरी आजी वका मशन के तहत पंजीकृत तेजस्वी क्षेत्रिय महिला वकास मण्डल द्वारा कया जा रहा है।
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डो व निगम कार्यालय परिसर का निरीक्षण

रतलाम 23 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 1ए 7 व 27 का भ्रमण कया गया। भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह भी साथ रहेए वार्डो के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर चेक कर सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी देकर रजिस्टर जब्त कये।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्रिय नालो में अर्धरात्री में गंदगी फेंकने वालो को चन्हीत कर कार्यवाही करने व ना लयों पर अतिक्रमण सफाई में बाधा पंहूचाने वाले

लोगो पर कार्यवाही के साथ मौके पर ही प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्ती कार्यवाही करवाते हुए नागरिकों को समझाईश दी गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा शहर में कसी भी प्रकार से स्वच्छता में असहयोग करने वाले नागरिकए दुकानदारों से पेनल्टी व स्पॉट फाईन की कार्यवाही से दण्डित करने को कहा। नगर निगमए छत्रीपुल क्षेत्र में सड़को पर मजमा लगाकर सामान बेचने वालो को अन्यंत्र भेजा जाकर चेतावनी दी।

इसी प्रकार दोपहर निगम प्रांगण का दौरा कर अनुपयोगी वाहनों पर चर्चा की इसी के साथ बंद पडी फायर गाड़ी को जुगाड से चालू करने की सहमति दी गई। निगम प्रांगण में पड़े कबाड़ को व्यवस्थित करने के साथ अन्य आवश्यक निर्देश दिये गयेए निगम का नव निर्मत संपत्तिकर काउन्टर जिसमें आमजन की सुवधाओं को ध्यान में रखकर सुवधायुक्त बनाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संह आदि उपस्थित रहे।

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

12 कलो पॉलीथीन जब्त

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 23 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व प50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत राजेन्द्र कुमार अग्रवाल धानमण्डी पर 1500ए समरथ कस्तुरबा नगरए सुरेष स्टोर राम मंदिर पर 500.500ए घांसीराम स्वीट्स धानमण्डीए अग्रवाल आईस्क्रीमए सांवरिया कराना राम मंदिर पर 250.250ए छोटेलाल अषोक कुमार गांधी चांदनी चौक पर 200ए जितेन्द्रए षव भोजनालय धानमण्डीए हंसमुख टे्डर्स नीम चौकए करेणी दूधवाला तोपखानाए कालू मामा कचौरीवाला राम मोहल्लाए सौरभ पुरोहित कस्तुरबा नगरए गुरबेज संहए अजय प्रजापत राम मंदिर पर 100.100ए जुझार संह चौमुखी पुलए गीताए राम मालाए प्रकाष जवाहर नगरए गु ीबाईए र वए पुश्पेन्द्रए लख्खा भाई राम मंदिर पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 12 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

लक्कड़पीठा प्याऊ में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 36ए32ए144६ संपत्तिकर व 7ए78ए860६ जलकर जमा कराया

रतलाम 23 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000रू व जलकर 6ए000रूए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000रू व जलकर 55ए775रूए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विािर में संपत्तिकर 2ए38ए000रू व जलकर 49ए010रूए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000रू व जलकर 43ए670रूए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000रू व जलकर 29ए280रूए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000रू व जलकर 19ए850रूए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000रू व जलकर 48ए220रूए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000रू व जलकर 14ए000रूए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000रू व जलकर 86ए540रूए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000रू व जलकर 3ए76ए905रूए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500रू व जलकर 76ए470रूए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000रू व जलकर 47ए595रूए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000रू व जलकर 22ए680रूए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644रू व जलकर 55ए320रूए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000रू व जलकर 59ए500रूए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144रू व जलकर 6ए71ए025रूए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000रू व जलकर 19ए000रूए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000रू व जलकर 64ए780रूए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000रू व जलकर 66ए715रूए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000रू व जलकर 34ए340रू की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 36ए32ए144रू संपत्तिकर व 7ए78ए860रू जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस

रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

677 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 23 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 23 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 677 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 23 फरवरी को दीनदयाल नगरए धीरजशाह नगरए ईश्वर नगर

फाटकए कलीमी कालोनी से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500द्ध वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
124 दिनों में 147 वॉल्व व 857 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 23 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 23 फरवरी तक 147 वॉल्व व 851 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 23 फरवरी मंगलवार को हिम्मत वहार कालोनीए दीनदयाल नगर नई टंकी के पास वीआईपी नगरए लक्ष्मी नगरए तेजा नगरए जवाहर नगर सांवरिया साई कल के बाहर व कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन के अन्दर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये।
उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 23 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक
रतलाम 23 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर

नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।
नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें
रतलाम 23 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।
स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 23 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/23ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.